अमोनियम नाइट्रेट भंडार गृह का निर्माण एवं सुरक्षा (अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 12 का प्रावधान)

- (1) लाइसेंस धारक किसी भंडार गृह में संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अपने खर्च पर स्रक्षा गार्ड प्रदान करेगा।
- (2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा गार्ड उतनी संख्या में होंगे, उनकी जितनी संख्या जिला प्राधिकारी पर्याप्त मानते हों।
- (3) अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण या तरल अमोनियम नाइट्रेट को ठोस में बदलने या ठोस अमोनियम नाइट्रेट को तरल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर और भंडार गृह कम से कम दो मीटर की ऊँचाई की ऐसे मजबूत निर्माण वाले दीवार से घिरा हो, जो अनिधकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोक सके।
- (4) (क) अमोनियम नाइट्रेट भंडार गृह निम्नलिखित स्थिति को कायम रखेगा;
 - (i) अधिकतम 30 मीट्रिक टन के भंडारण के लिए, भंडार गृह से कंपाउंड वॉल तक की 4.5 मीटर की स्रक्षा दूरी और किसी भी संरक्षित काम से 45 मीटर की दूरी;
 - (ii) 30 मीट्रिक टन से अधिक के भंडारण के लिए, भंडार गृह से कंपाउंड वॉल तक की 9 मीटर की स्रक्षा दूरी और किसी भी संरक्षित काम से 90 मीटर की दूरी;
 - (ख) भंडार गृह विनिर्माण की बैगिंग यूनिट, कन्वर्जन या एक्सप्लोसिव या नाइडूस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों के पास हो सकता है, लेकिन उसे नियम 4 के उप नियम (क) के खंड (i) और (ii) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

नोट: सुरक्षा दूरी को भंडार गृह के किनारे से मापा जाएगा।

- (5) (क) भंडार गृह;
- (i) को भूतल पर बिना किसी मेजनाइन फ्लोर, ऊपरी तल या बेसमेंट के बनाया जाएगा;
- (ii) ऐसे फ्लोर (प्लिंथ) लेवल का बनाया जाएगा, जो भूतल से पैंतालिस सेंटीमीटर से कम न हो और हवादार हो;
- (iii) की दीवारें कम से कम 23 सेंटीमीटर मोटी हों, जो ब्रिक या स्टोन मोटीर, या कंक्रीट से बनी हों और उसमें आरसीसी या ऐस्बेस्टस या फाइबर या जीआई की शीट वाली छत हो;
- (iv) में पर्याप्त संख्या में दरवाजे हों, जो कम से कम तीन मिलीमीटर मोटे स्टील से बने हों और बाहर की ओर खुलते हों;

- (ख) उप-खंड (iii) में निहित किसी बात के होते हुए भी स्टीवडोर का भंडार गृह चहारदीवारी के बगैर कोई शेड हो सकता है।
- (6) अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री के लिए उसे रखने हेतु या उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी भंडार गृह में एक फ्लोर एरिया होगा, जो एक वर्ग मीटर प्रति मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट के पैमाने से कम नहीं होगा और भंडार गृह की कुल धारण क्षमता 5000 मीट्रिक टन के भंडारण से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि बैग में बंद अमोनियम नाइट्रेट का एक ढेर, 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगा और पास के ढेर के बीच दो मीटर की न्यूनतम निकासी को बनाए रखा जाएगा और ढेर और भंडार गृह की दीवारों के बीच कम से कम 0.6 मीटर चौड़ा गैंगवे बनाए रखा जाएगा।

आगे यह भी शर्त होगी कि ढेर की अधिकतम ऊंचाई फर्श के तल से 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसे भंडार गृह की दीवारों पर प्रमुखता से चिहिनत किया जाएगा।

- (7) आईएस 2309 के अनुसार भंडार गृह का आकाशीय बिजली से बचाव किया जाएगा।
- (8) तरल अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण के लिए बने भंडारण टैंक -
- (i) को साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य संगत सामग्री से बनाया जाएगा, जो किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोड, जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किया गया हो, के अनुरूप हो और वह पर्याप्त रूप से इनसुलेटिड हो, ताकि ऐसे भंडारण टैंक में तरल अमोनियम नाइट्रेट की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके;
- (ii) सीमेंट कंक्रीट से बने डाइक एनक्लोजर के रूप में एक सेकेंडरी कन्टेनमेंट और इसकी धारण क्षमता ऐसे एनक्लोजर के भीतर स्थित सबसे बड़े टैंक की क्षमता से कम नहीं होगी;
- (iii) चहारदीवारी और प्लांट फेसीलिटी के अंदर 4.5 मीटर की सुरक्षा दूरी और किन्हीं भी सुरक्षा संबंधी कार्यों से 45 मीटर की दूरी का पालन करेंगे;
- (iv) एकल भंडारण टैंक क्षमता के साथ होंगे, जो 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो; तथा
- (v) लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इसके समीप एक उपयुक्त मजबूत स्टैंड रखा जाएगा और वह मजबूत स्टैंड इस तरह स्थित होगा, ताकि, उसका केंद्र चारों ओर न्यूनतम 4.5 मीटर की सुरक्षा दूरी बनाए रखे।

फॉर्म पी-3 में लाइसेंस की शर्तें

(किसी भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए रखने हेतु लाइसेंस)

- (1) अमोनियम नाइट्रेट केवल लाइसेंस प्राप्त भंडार गृह में या लाइसेंस के साथ संलग्न अनुमोदित योजना में दिखाए गए तरल भंडारण टैंक में रखा जाएगा ।
- (2) निर्धारित परिसर या उसके किसी भाग में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा किसी भी समय उस मात्रा से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है।
- (3) स्वीपिंग या स्पिल्ड से एकत्र अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को लाइसेंस धारक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और उसका हिसाब रखा जाएगा, जिसमें नष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा दिखायी जाएगी।
- (4) लाइसेंस धारक और नियोजित प्रत्येक व्यक्ति लाइसेंसी परिसर में आग या विस्फोट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और अनिधकृत व्यक्ति को लाइसेंसी परिसर तक पहुंचने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो किसी दुर्घटना या विस्फोट का कारण बने और जो उससे संबंधित कार्यों के प्रयोजन के लिए यथोचित आवश्यक नहीं है।
- (5) लाइसेंस प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना लाइसेंसी परिसर में कोई परिवर्धन-परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्वीकृत किए गए ऐसे परिवर्धन और परिवर्तन लाइसेंस से जुड़ी संशोधित योजना में दर्शाए जाएंगे।
- (6) लाइसेंस धारक विनिर्माण, रूपांतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति करेगा और संबंधित कार्य सक्षम व्यक्ति की देखरेख में किया जाएगा ।
- (7) किसी भी निरीक्षण या नमूना एकत्र करने वाले अधिकारी को लाइसेंसी परिसर की निर्बाध पहुंच सभी उचित समय पर दी जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी को सभी सुविधाएं दी जाएंगी कि अधिनियम के प्रावधान और इन नियमों और सुरक्षा शर्तों का विधिवत पालन किया गया है।
- (8) यदि लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी, लाइसेंस धारक को किसी भी मरम्मत को निष्पादित करने या लाइसेंसी परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने की सिफारिश करते हैं, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में जोखिम पैदा करते हों और इसलिए परिसर या व्यक्तियों की हिफाजत या सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, तो लाइसेंस धारक बताए गए कार्यों को पूरा करेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर उसके अन्पालन की सूचना देगा।
- (9) आग या विस्फोट से दुर्घटना और नुकसान, अमोनियम नाइट्रेट की कमी या चोरी की सूचना तुरंत नजदीकी प्लिस स्टेशन और जिला प्राधिकरण को दी जाएगी।
- (10) लाइसेंस धारक अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित जवाबदेही, पहचान और उसका पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची । भाग 3 में निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्रों में रिकॉर्ड रखेगा और नियम 49 में निर्दिष्ट प्राधिकरण की मांग पर ऐसे रिकॉर्ड को प्रस्तुत करेगा।
- (11) लाइसेंस धारक प्राप्त, बेची गई/उपयोग की गई और नष्ट की गई अमोनियम नाइट्रेट की मासिक रिटर्न अनुसूची II के भाग 3 के प्रपत्र आर-9 में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा, ताकि वह प्रत्येक अगले माह के दसवें दिन के अंदर लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण तक पहुंच जाए।